(512)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प. 12(82) नवि / 2000 पार्ट जयपुर दिनांक 27.6.2001

अधिसूचना

राज्य के स्थानीय निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यासों व न्यायिक प्रकरणों का समझौते से निस्तारण करने के लिए राज्य स्तरीय समझौता समितियों का गठन इस विभाग की निम्न अधिसूचनाओं द्वारा किया गया था ।

स्थानीय निकायों के लिए	क. एफ. 8(1)(डी)(रूल्स) एलएसजी / 2000/13875 दिनांक 30.5.2000
जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए	क. प. 12(82) नवि / 2000 दिनांक 31.5.2000
नगर विकास न्यासों के लिए	क. प. 12(82) नवि / 2000 दिनांक 15.5.2001

इन समितियों में माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग को अध्यक्ष बनाया गया था । इन राज्य स्तरीय समझौता समितियों में अध्यक्ष के रूप में मंत्री नगरीय विकास विभाग के स्थान पर न्यायाधिपति श्री इन्द्र सैन ईसरानी, पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय को मनोनीत किया जाता है । न्यायाधिपति श्री ईसरानी को देय पारश्रमिक एवं अन्य सुविधाओं के लिए आदेश अलग से प्रसारित किये जायेंगें ।

आज्ञा से

ह०
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशन करवाकर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें ।
2. न्यायाधिपति, श्री इन्द्रसैन ईसरानी, जे - 54. कृष्णा मार्ग, सी – स्कीम, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग ।
5. समस्त संभागीय आयुक्त ।
6. समस्त जिला कलेक्टर ।
7. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर ।
10. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर ।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास ।
12. रक्षित पत्रावली ।

ह०
शासन उप सचिव